समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(o) मो0–8544426112

ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2020 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 29.12.2020 को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 हेतु धान अधिप्राप्ति से संबंधित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्न निदेश दिये गये :–

1. सभी किसान सलाहकार को निदेश दिया गया कि दिनांक 29.12.2020 से 31.12.2020 तक अपने संबंधित पंचायत के प्रत्येक गॉव में शिविर आयोजित कर/भ्रमण कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने वाले इच्छुक किसानों की सूची धान की मात्रा, बिक्री तिथि एवं विक्री समय के साथ संकलित करेंगे और प्रत्येक दिन शाम में सहकारिता विभाग के बेवसाईट www.epacs.bihar.nic.in पर किसानों की निबंधन संख्या के आधार पर इच्छुक किसानों की सूची अपलोड करेंगे। साथ ही ऐसे सभी किसानों से उक्त बेवसाईट पर सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सूचनाएँ दर्ज कराने और तदनुसार प्रतिदिन शाम में संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों को किसानों की सूची से अवगत कराने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे।
2. किसान सलाहकार की यह भी जिम्मेवारी होगी कि वे कृषि विभाग के किसान डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल संख्या के आधार पर किसानों को इस अभियान के बारे में फोन पर सूचित करेंगे।
3. दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 10.01.2021 तक उक्त संकलित सूची के सभी किसानों से प्राथमिकता के आधार पर पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा धान की खरीद सुनिश्चित कराई जाएगी और किसानों के खाते में PFMS के माध्यम से 48 घंटे के भीतर राशि हस्तांतरित की जाएगी। किसान सलाहकार उक्त अवधि में संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों से धान की खरीद में उन्हे किसी प्रकार की समस्या न हों।
4. जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिलास्तर पर किसानों को इस अभियान की सूचंना देने के लिए अलग से विज्ञापन निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
5. जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस अवधि में और इसके बाद भी सामान्य तरीके से धान की अधिप्राप्ति जारी रखना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस रणनीति का क्रियान्वयन करने के लिए किसान सलाहकारों के कार्यो की निगरानी करने के लिए प्रखडस्तरीय पदाधिकारियों को अनुश्रवण की जिम्मेदारी होगी। इस प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी इच्छुक किसान छुटे नहीं और सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य

का लाभ नहीं उठा पाने वाले किसानों को अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि यदि किसी पंचायत में किसान नहीं है, तो किसी अन्य पंचायत के किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को कार्य हेतु प्राधिकृत करेंगे।
8. जिला सहकारिता पदाधिकारी बक्सर प्रतिदिन टास्क फोर्स की समीक्षा हेतु किसानों की सूची संकलन तथा धान अधिप्राप्ति अभियान का दैनिक अनुश्रवण करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 04-2446 /आ0, दिनांक 29/12/2020

प्रतिलिपि– सभी किसान सलाहकार/प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी,बक्सर/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरीय उप समाहर्त्ता, धान अधिप्राप्ति, बक्सर जिला को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

29.12.20

जिला पदाधिकारी
बक्सर